न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल, एच.जे.एस. (UP-2408)
CNR No.-UPHP010050822026

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –1544/2026

अदनान पुत्र आरिफ निवासी ग्राम सिखैड़ा, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

मुकदमा अपराध सं0 506/2024
अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 110 बी.एन.एस.
थाना–पिलखुवा, जिला– हापुड़।

दिनांक 14.07.2026:–

1. यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में आवेदक/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 06.10.2024 को दौरान विवेचना निरस्त किया जा चुका है।

2. संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2024 को उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार बालियान मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण के शान्ती व्यवस्था एवं गस्त में मामूर थे और जब गस्त करते हुए सिखैडा बम्बा के पास पहुंचे तो जरिये आरटी सैट थाना हाजा से सूचना प्राप्त हुई कि सिखैडा गांव में दो पक्षों में मारपीट हो रही है सूचना पर मैं उपनिरीक्षक मय हमराहीयान के तत्काल ग्राम सिखैडा में समय करीब 20.15 बजे रात्रि पहुंचे तो देखा कि सिखैडा गांव के मैन चौराहे पर करीब 20–25 लोग एकराय होकर हाथों में लाठी, डण्डों व लोहे के सरिया लेकर आपस में गाली गलौच व मारपीट कर रहे हैं। काफी समझाने पर भी नहीं माने तब मुझ उपनिरीक्षक ने आर्टी सैट से थाने से अतिरिक्त फोर्स ग्राम सिखैडा भेजने के लिए बताया और मय हमराहीयान के मौके पर भीड को धमकाकर तितर बितर किया। भीड़ हटने के बाद गांव के लोगों की सहायता से मौके पर घायल बेहोस अवस्था में पडे 1. आरिफ पुत्र इलियास, 2. साहिद अली पुत्र जाहिद अली, 3 इकबाल पुत्र इलियास निवासी ग्राम सिखैडा को डाक्टरी उपचार हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना भिजवाया गया। मौके पर मारपीट कर झगडा करने वाले दो पक्षों में से एक पक्ष आरिफ का व दूसरा पक्ष रिजवान का था। इन दोनों पक्षों में एक माह पूर्व भी मिटटी के डमफरों के पैसें के लेन देन को लेकर कहासुनी हुई थी जिसको लेकर इन दोनों पक्षों में कसीदगी बनी हुई थी और शांति भंग का अंदेशा देखते हुए थाना पुलिस द्वारा उस समय ही धारा 126, 135 बीएनएसएस की चलानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की गयी थी। मौके पर झगडा करने वालों को हम पुलिस वालों ने टार्चो व बिजली की रोशनी में अच्छी तरह पहचाना था। मौके पर झगडा करनरे वाले रिजवान पक्ष के 1. रिवाजन पुत्र जाहिद, 2. सरवर पु. जाहिद, 3. कैश पुत्र जाहिद, 4. फैसल पुत्र जुल्फिकार, 5. मोनिक पुत्र जुल्फिकार, 6. जाहिद पुत्र वसी मौहम्मद, 7. जाकिर पुत्र मौ0 अली व दूसरे आरिफ पक्ष के 1. अदनान पुत्र आरिफ, 2. इकबाल पुत्र इलियास, 3. शमशाद पुत्र तरीकत, 4. मौसिन पुत्र इन्तजार थे। इनके अलावा दोनों पक्षों की तरफ से झगडा मारपीट करने में और भी कई लोग शामिल थे। झगडा करने वाले व्यक्तियों का कृत्य धारा– 191(2), 191(3), 115(2), 352, 110 बी.एन.एस. जिन्हें सामने आने पर पहचान सकते हैं। दोनों पक्ष झगडालू किस्म के लोग है और इनकी आम शोहरत भी अच्छी नहीं है और दोनों पक्षों में आपस में बहुत कसीदगी है और कोई भी संगीन घटना घटित हो सकती है क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष थाने पर मुकदमा नहीं लिखा रहा है और गांव में एलानिया एक दूसरे को देख लेने की बात कह रहे है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे गांव की पार्टीबाजी के आधार पर साजिशन

झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 3 दिन की देरी से दर्ज करायी गयी है, परन्तु देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई स्पष्ट रोल नहीं है और ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित है कि आवेदक/अभियुक्त के हाथ में क्या हथियार था और किसने किस व्यक्ति के साथ मारपीट, गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी दी है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त अपराध में धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के नोटिस पर थाना हाजा से जमानत पर है। आवेदक/अभियुक्त माननीय न्याायलय की सन्तुष्टि के लिए अपनी उचित अग्रिम जमानत देने को तैयार हैं। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कारित अपराध को गंभीर बताते हुए अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर घातक हथियारों से लैस होकर बलवा कारित किया, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को गाली गलौच करते हुए मारपीटकर गम्भीर चोटें पहुंचायी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है और उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक के तर्क सुने तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

6. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तण के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर घातक हथियारों से लैस होकर बलवा कारित किया, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को गाली गलौच करते हुए मारपीटकर गम्भीर चोटें पहुंचायी। घटना में आरिफ, इकबाल व शाहिद अली को चोटे आयी। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के नोटिस पर छोड़ा गया है और विवेचना के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध 7 वर्ष तक के कारावास से दण्ड़नीय है। अतः न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम विधि व्यवस्थाओं के आलोक में मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार करने का पर्याप्त आधार पाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या मु0अ0सं0 506/2024 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 110 बी.एन.एस. थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ के मामले में स्वीकार किया जाता है। अतः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमति बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये की एक विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड दिया जाये।

1 यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा तथा अपना पासपोर्ट विचारण की समाप्ति तक न्यायालय में जमा करेगा।

4 यह कि आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

5. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
6. यह कि आवेदक/अभियुक्त अपने आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक 14.07.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।